(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 136 **नई दिल्ली**, 28 अप्रैल, 2010

<u>अधिसूचना</u>

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48,49 और 50 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास के वर्तमान दरमान की वैधता को, संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

<u>महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण</u>

<u>प्रकरण सं. टीएएमपी/43/2005-वीपीटी</u>

<u>आ दे श</u>
(मार्च 2010 के 31 वें दिन पारित)

विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास (वीपीटी) का वर्तमान दरमान इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी / 43 / 2005-वीपीटी दिनांक 11 मई 2006 के माध्यम से अनुमोदित किया गया था। अनुमोदित दरमान की वैधता 31 मार्च 2009 तक निर्धारित की गई थी।

2. वीपीटी के वर्तमान दरमान की वैधता इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23 अक्तूबर 2009 के आदेश के माध्यम से 31 मार्च 2010 तक विस्तारित की गई थी।

3. वीपीटी ने अपने दरमान के संशोधन के लिए प्रस्ताव दाखिल किया है। जिसे संबंधित पत्तन उपयोगकर्त्ताओं / उपयोगकर्त्ता संगठनों के साथ परामर्श क लिए लिया गया है। प्रस्ताव पर आन्तरिक रू प से भी जांच-पड़ताल हो रही है।

4. वीपीटी ने दिनांक 11 मार्च 2010 के अपने पत्र द्वारा वर्तमान दरमान की वैधता 31 मार्च 2010 से आगे प्रस्ताव के अंतिम निपटान तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।

5. चूंकि वर्तमान दरमान की वैधता 31 मार्च 2010 को समाप्त हो रही है और प्रकरण को विचारार्थ अंतिम रू प देने में अभी कुछ और समय लगेगा, यह प्राधिकरण वर्तमान दरमान की वैधता 30 सितंबर 2010 अथवा संशोधित दरमान के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि, इनमें से जो भी पहले हो, तक विस्तार प्रदान करता है।

6. 1 अप्रैल 2010 के बाद वाली अवधि में ग्राह्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो वह निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णरू पेण समायोजित किया जाएगा।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष